राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनॉक 25 अगस्त 2015 का कार्यवृत्त

दिनांक 25 अगस्त 2015 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन होटल मायरियाड में किया गया। बैठक में मिशन निदेशक–एन0एच0एम0, अधिशासी निदेशक–टी0एस0यू0, महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक –परिवार कल्याण, वरिष्ठ सलाहकार–एन0एच0एम0, समस्त महाप्रबंधक, वित्त नियंत्रक –एन0एच0एम0 एवं महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिकारियों सहित प्रदेश के समस्त मण्डलों के अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत है:–

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 द्वारा समीक्षा बैठक प्रारम्भ की गई।

चर्चा के बिन्दु एवं दिये गये निर्देश –

वित्त

- मिशन निदेशक द्वारा राज्य स्तरीय बैठक में बिना आमंत्रण के प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों पर रोष व्यक्त करते हुए समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भविष्य में राज्य स्तरीय बैठकों में बिना आमंत्रण के प्रबंधकों अथवा अन्य अधिकारियों को साथ न लायें।
  (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
- मिशन निदेशक द्वारा प्रदेश में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 15.33 प्रतिशत व्यय पर अप्रसन्नता प्रकट की गई। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माह अगस्त 2015 तक संपादित समस्त गतिविधियों का भुगतान एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें।
  (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि माह अगस्त 2015 तक के समस्त लंबित भुगतान कर माह अगस्त की एफ0एम0आर0 में भुगतान प्रदर्शित किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि ब्लाक स्तर पर सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास स्वयं करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को भुगतान न किये जाने पर अप्रसन्नता प्रकट की गई। मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि आशाओं एवं 102 एम्बूलेंस के चालक एव ई0एम0टी0 के साथ ब्लाक स्वास्थ्य इकाई पर बैठक करें ताकि लाभार्थी को गॉव से लाते समय लाभार्थी के बैंक खाते की जानकारी भी स्वास्थ्य इकाई पर ला सके। लाभार्थी को जे0एस0वाई0 धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में अविलम्ब हस्तांतरित कर दी जाये। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल मद में जनपद बलिया में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 5.01 प्रतिशत एवं जनपद उन्नाव में 8.85 प्रतिशत मात्र व्यय होने को मिशन निदेशक द्वारा गम्भीरता से लिया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी बलिया और उन्नाव को चेतावनी दी गई कि जनपद में आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल मद में लंबित भुगतान एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें। वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0 को निर्देशित किया गया कि अगली बैठक से पूर्व जनपद बलिया एवं उन्नाव में आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल मद में व्यय मदवार की आख्या मिशन निदेशक के सम्मुख प्रस्तुत करें।
  (कार्यवाही– वित्त नियंत्रक–एस0पी0एम0यू0)
- मिशन निदेशक द्वारा जनपद रायबरेली और अमेठी में ब्लाक से संबंधित बजट भेजने एवं जनपदों को प्राप्त करने में हो रही दिक्कतों को एक सप्ताह में दूर करने के निर्देश वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0 को दिये गये। **(कार्यवाही– वित्त नियंत्रक–एस0पी0एम0यू0)**

- मिशन निदेशक द्वारा जनपद उन्नाव, बलिया, बिजनौर, गाजीपुर, फतेहपुर, महोबा, सीतापुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, कानपुरदेहात, फरूखाबाद, आजमगढ़, कासगंज, जौनपुर, ललितपुर, रायबरेली, बांदा, कुशीनगर, बाराबंकी, सहारनपुर, अमेठी, इटावा, बरेली, इलाहाबाद, लखीमपुरखीरी, कौशाम्बी, वाराणसी, संतरविदास नगर, मिर्जापुर एवं चन्दौली में जननी सुरक्षा योजना के तहत आशाओं का भुगतान न होने पर अप्रसन्नता प्रकट की गई। मिशन निदेशक द्वारा उपरोक्त समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबंधक से प्रतिदिन जिले के समस्त ब्लाक में किये गये भुगतान की आख्या प्राप्त कर 10 दिन के भीतर समस्त लंबित भुगतान करने के निर्देश दिये गये।

  (कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)
- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का बजट समस्त ब्लाक में एक सप्ताह में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का स्वीकृत बजट जिला मुख्यालय पर किसी भी दशा में व्यय नही किया जायेगा।

  (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
- ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु राज्य स्तर से जारी की गई धनराशि से अधिक धनराशि जनपद बलिया, बुलंदशहर, सोनभद्र, आगरा, बरेली, हापुड़, बिजनौर एवं एटा द्वारा ब्लाकों को प्रेषित करने के संबंध में संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी जॉच कर आख्या एक सप्ताह में वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0 को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही मिशन निदेशक द्वारा उक्त जनपदों के जिला लेखा प्रबंधकों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0 को दिये गये।

  (कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0)
- मुख्य चिकित्साधिकारी इटावा द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य के संज्ञान में लाया गया कि जनपद इटावा में बायो मेडिकल वेस्ट उठाने वाली एजेंसी का रिन्यूवल वर्ष 2014–15 में जिला स्वास्थ्य समिति, इटावा द्वारा नही किया गया था फिँर भी एजेंसी से तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कार्य लिया गया। इस प्रकरण पर प्रमुख सचिव द्वारा निदेशक–चिकित्सा उपचार को निर्देशित किया गया कि प्रकरण का अध्ययन कर 15 दिन में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट शासन को प्रेषित करें।

  (कार्यवाही– निदेशक, चिकित्सा उपचार)
- बायो मेडिकल वेस्ट में माह अप्रैल 2015 से जुलाई 2015 तक जनपद मुख्यालय/जिला चिकित्सालय महिला/पुरूष से कोई भी व्यय न होने पर मिशन निदेशक द्वारा वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक–जालौन, फैजाबाद, गोण्डा, सुलतानपुर, कन्नौज, बदायूँ, गोरखपुर, लखनऊ, कुशीनगर, इटावा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकरनगर, सिद्वार्थनगर एवं बलरामपुर का स्पष्टीकरण लेना सुनिश्चित करें कि उक्त मद में प्रेषित धनराशि किस स्तर पर अब तक व्यय नही की गई है।

  (कार्यवाही– वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0)
- मिशन निदेशक द्वारा वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया कि जनपद हमीरपुर, बरेली, शाहजहॉपुर, लखीमपुरखीरी, इलाहाबाद, फरूखाबाद, बिजनौर एवं कानपुर देहात में बायो मेडिकल वेस्ट में माह अप्रैल 2015 से जुलाई 2015 तक स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय, का स्पष्टीकरण संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं जिला लेखा प्रबंधक से करना सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही– वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0)
- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 10 सितम्बर 2015 तक जिला महिला चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय पुरूष को बायो मेडिकल वेस्ट हेतु राज्य स्तर से आवंटित धनराशि को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि क्लीनिंग, हाउस कीपींग, एवं लाण्ड्री प्रबंधन हेतु जनपद स्तर से आवंटित बजट यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा आच्छादित चिकित्सालयों को छोडकर संबंधित चिकित्सा इकाईयों को एक सप्ताह में भेजना सुनिश्चित करें। वित्त नियंत्रक द्वारा स्पष्ट किया गया कि एक कार्य हेतु दो जगहों से भुगतान नही किया जा सकता है। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया कि जनपद बांदा, सहारनपुर, रामपुर, गोरखपुर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, बाराबंकी एवं फिरोजाबाद में क्लीनिंग, हाउस कीपींग, एवं लाण्ड्री प्रबंधन हेतु स्वीकृत धनराशि से अधिक के व्यय, का स्पष्टीकरण संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं जिला लेखा प्रबंधक से करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही–वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0)
- प्रमुख सचिव द्वारा एफ0एम0आर0 कोड बी 16.2 के तहत प्रोक्योरमेण्ट ऑफ ड्रग्स एण्ड सप्लाईज के तहत किन किन योजनाओं में कय किया जाना हैं से संबंधित दिशा निर्देश संबंधित कार्यकम अधिकारी अतिशीध्र जारी करायें।
(कार्यवाही–निदेशक,सी0एम0एस0डी0/महाप्रबंधक, प्रोक्योरमेन्ट–एस0पी0एम0यू0)
- मिशन निदेशक द्वारा जनपद चंदौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चकिया को जिला स्तरीय चिकित्सालय का दर्जा दिये जाने हेतु महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य को अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया। **(कार्यवाही– महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य)**
- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर से पी0ओ0एल0 फॉर जनरेटरर्स हेतु दिनॉक 28 जुलाई 2015 को अवमुक्त धनराशि को संबंधित चिकित्सालयों को एक सप्ताह में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वित्तीय स्थिति पर मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा जो बैठक में कहा गया है को नोट करें एवं जनपद में जाकर उसकी पुष्टि करें। साथ ही राज्य स्तर से आवंटित बजट प्रत्येक इकाई को हस्तांतरण की स्थिति से मिशन निदेशक को अवगत करायें। **(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक)**
- नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में जनपद गाजियाबाद, बिजनौर, सीतापुर, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, उन्नाव, गाजीपुर, इटावा, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, फरूखाबाद, बलिया एवं बाराबंकी में सिर्फ 1.87 प्रतिशत तक व्यय किया गया हैं जबकि जनपद गाजियाबाद, सीतापुर, सुलतानपुर, इटावा, अमेठी, फरूखाबाद एवं बाराबंकी में मिशन इंद्रधनुष की गतिविधि समाप्त हो चुकी है। मिशन निदेशक द्वारा इन जनपदों में एक सप्ताह में भुगतान करने के निर्देश संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिये गये। साथ ही वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया कि जनपद बिजनौर में विगत वर्ष इसी अवधि में 13.66 प्रतिशत व्यय किये जाने की स्थिति पर विशेष आडिट कराये जाने के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही– वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0 एवं संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

<u>परिवार नियोजन</u>

- मिशन निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को निर्देशित किया कि परिवार नियोजन सेवाओं पर जनपद के समस्त ब्लाकों में बैठकों का आयोजन करवाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक ब्लाक पर एक वृहद समीक्षा बैठक करायें जिसमें जिला कार्यकम प्रबंधक, जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबंधक, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0, ब्लाक के विशलेषणात्मक रिपोर्ट के साथ समीक्षा करें।
(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों को निर्देशित किया कि प्रत्येक माह परिवार नियोजन सेवाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत होते हुये अपने स्तर से सुधारात्मक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही–समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों)
- मिशन निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी एटा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों में रूचि न लेने पर फटकार लगाई। मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का क्रियान्वयन सकारात्मक रूप से करायें। जनपद में कार्य संस्कृति विकसित करें। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जनपदीय सिस्टम को मजबूत बनायें।
(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी,एटा)
- मिशन निदेशक द्वारा महानिदेशक परिवार कल्याण को निर्देशित किया कि राज्य स्तरीय परिवार कल्याण का ड्रग वेयर हाउस का भ्रमण करें। साथ ही ड्रग वेयर हाउस में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य दायित्वों का निर्धारण सुनिश्चित करायें। परिवार नियोजन सामग्री मण्डल एवं जनपदों में भेजने/प्राप्त करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु निर्देशित किया।
(कार्यवाही– महानिदेशक परिवार कल्याण)
- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, ब्लाक कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबंधक को ब्लाक में संचालित समस्त कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक माह जनपद स्तर पर ब्लाक के प्रभारी चिकित्साधिकारी, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0, बी0ए0एम0, एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर के साथ वृहद ब्लाकवार समीक्षा करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में समस्त ब्लाक के चिकित्साधिकारियों, प्रबंधकों के मध्य वाटसैप ग्रुप बनाये और कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान प्रदान करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा परिवार नियोजन हेतु फिक्सड डे कैम्प के तहत मण्डल बस्ती एवं मिर्जापुर में सबसे खराब काम होने पर मुख्य चिकित्साधिकारियों को फटकार लगाई। जनपद चंदौली के मुख्य चिकित्साधिकारी को कैम्प के ऑकड़ो को पुनः चेक करने के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लैप्रोस्कोपिक विधि, मिनीलैप विधि एवं एन0एस0वी0 में प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा माह अप्रैल 2015 से अब तक माहवार सर्जनवार रिपोर्ट एस0पी0एम0यू0 को एक सप्ताह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि परिवार नियोजन में जनपदवार प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों/स्टाफ नर्सो जो नसबन्दी, कॉपरटी सेवायें प्रदान कर रही है की सूचना मासिक आधार पर एस0पी0एम0यू0 एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- प्रमुख सचिव द्वारा महाप्रबंधक क्वालिटी एश्योरेंस को निर्देशित किया गया कि जिला क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी को वृहद रूप प्रदान करने के लिए पत्रावली प्रमुख सचिव तक प्रेषित की जाये।
(कार्यवाही– महाप्रबंधक क्वालिटी एश्योरेंस)
- परिवार नियोजन कार्यक्रमों में शिथिलता बरतने पर मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, बरेली को निर्देशित किया गया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में रूचि लेकर गतिविधियों को संपादित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

- हौसला साझेदारी के तहत प्राईवेट नर्सिंग होम के पंजीकरण की अद्यतन सूचना का संकलन कर प्रमुख सचिव के अवलोकनार्थ पत्रावली महाप्रबंधक परिवार नियोजन, एस0पी0एम0यू0 भेजना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– महाप्रबंधक परिवार नियोजन)**
- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एक्रीडेटेड प्राईवेट नर्सिंग होम के नसबन्दी केसेज का भुगतान एक सप्ताह में करके महानिदेशक परिवार कल्याण को सूचित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- प्रमुख सचिव द्वारा महानिदेशक परिवार कल्याण को निर्देशित किया गया कि मण्डलीय ड्रग वेयर हाउस में मानव संसाधन की तैनाती हेतु प्रस्ताव एन0एच0एम0 की सप्लीमेण्टरी पी0आई0पी0 में भेजना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– महानिदेशक, परिवार कल्याण)**
- मण्डलीय ड्रग वेयर हाउस से जनपदों को सामान भेजने की जिम्मेदारी मण्डलीय अपर निदेशक की होगी। राज्य स्तरीय परिवार कल्याण ड्रग वेयर हाउस से वैक्सीन आदि मंगाने हेतु मण्डलीय अपर निदेशकों द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी से शासकीय वाहन मांगा जाता है तो मुख्य चिकित्साधिकारी अविलम्ब वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  (कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
- मिशन निदेशक द्वारा महाप्रबंधक प्रोक्योरमेण्ट को मण्डलीय ड्रग वेयर हाउस में तैनात किये जाने वाले कार्मिकों के चयन हेतु वर्ष 2015–16 में चयन हेतु अवधि विस्तार का अनुमोदन मिशन निदेशक स्तर से प्राप्त कर अतिशीघ्र मण्डलों को भेज दिया जाये।
  (कार्यवाही– महाप्रबंधक प्रोक्योरमेण्ट)
- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती हेतु वॉक इन इण्टरव्यू किये जाये। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में राज्य स्तर से भर्ती पर रोक लगी हो, को छोडकर अन्य जनपदों में इण्टरव्यू के पश्चात परिणाम घोषित कर दिया जाये।
  (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

<u>प्रशिक्षण</u>

- निदेशक, एस0आई0एच0एफ0डब्ल्यू द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बरेली, चित्रकूट, बलरामपुर, आजमगढ़, कानपुरदेहात, रामपुर एवं हापुड़ को नवनियुक्त चिकित्साधिकारियों हेतु 6 सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जनपद से दो दो चिकित्सकों को नामित कर दिनॉक 26 अगस्त 2015 तक भेजने के निर्देश दिये गये।
  (कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

<u>बाल स्वास्थ्य</u>

- मिशन निदेशक द्वारा वर्ष 2015–16 में 23 जनपदों क्रमशः अमरोहा, बागपत, बलिया, भदोही, बिजनौर, चन्दौली, चित्रकूट, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जौनपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, महोबा, मैनपुरी, मउ, मुजफफरनगर, रायबरेली, सुलतानपुर, सैफई मेडिकल कॉलेज एवं कानपुर नगर जिला महिला चिकित्सालय हेतु सिक न्यू बार्न केयर यूनिट की प्राप्त स्वीकृति के संबंध में निर्देशित किया कि 14 सितम्बर 2015 तक एन0एन0सी0यू0 स्थापित करने हेतु स्थान का चयन कर लें तथा राज्य स्तर से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला को धनराशि तत्काल उपलब्ध कराकर स्थापना का कार्य 01 माह के भीतर पूर्ण करायेव कार्य किये जाने का आदेश निर्गत कर दें। **(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**

- मिशन निदेशक द्वारा वर्ष 2015–16 में स्वीकृत 18 पोषण पुर्नवास केन्द्र यथा जनपद अम्बेडकरनगर, कानपुर देहात, कुशीनगर, बलिया, बस्ती, बुलंदशहर, चन्दौली, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्व नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, सहारनपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर एवं मऊ के संबंध में निर्देशित किया कि 10 सितम्बर 2015 तक एन0आर0सी0 हेतु स्थान को चिन्हित कर लें, जिसमें 10 बेड लगाये जा सके। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि होम बेस्ड न्यू बार्न केयर के तहत रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर सही होनी चाहिए तथा निर्धारित तिथि रिपोर्ट राज्य स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दिनॉक 26 अगस्त 2015 तक जनपद में कियाशील/अकियाशील लिफ्ट–लिफ्ट खराब होने के कारण से संबंधित समस्त सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

<u>ई0एम0टी0एस0</u>

- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माह जुलाई 2015 तक 108 एवं 102 एम्बूलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिमाह दो दिन का पेशेंट डाटा रिकार्ड सत्यापित कर महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जनपद स्तर पर ई0एम0टी0एस0 योजना हेतु नोडल अधिकारी–ई0एम0टी0एस0, मुख्य चिकित्साधिकारी नियुक्त करें। आगामी दस दिन में जिन जनपदों से सत्यापन रिपोर्ट नही आई उनके खिलाफ महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यवाही प्रस्तावित कर, प्रमुख सचिव को अवगत करायें।
(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य)

<u>ए0ई0एस0/जे0ई0एस0</u>

- जनपद महाराजगंज, बस्ती, सिद्वार्थनगर, बहराईच, लखीमपुरखीरी में अब तक जे0ई0एस0/ए0ई0एस0 आई0सी0यू0 हेतु भर्ती विज्ञापन न निकालने पर प्रमुख सचिव द्वारा रोष प्रकट किया गया। उक्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में भर्ती का विज्ञापन निकालकर महानिदेशालय को सूचित करें।
(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)
- मिशन निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर को निर्देशित किया गया कि मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में संविदा में कार्यरत स्टाफ का सत्यापन कर जो पद रिक्त चल रहे हों, पर भर्ती की प्रकिया सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर)**

<u>आर0बी0एस0के0</u>

- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आर0बी0एस0के0 कार्यकम में तैनात चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों से किसी भी तरह का अन्य कार्य चिकित्सालय में न लिया जाये। समस्त टीम मासिक कलैण्डर अनुसार निर्धारित टैक्सी परमिट वाहन से प्रतिदिन विघालयों/ऑगनवाडी केन्द्रों पर जाकर छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य करेंगे। प्रमुख सचिव द्वारा मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों को निर्देशित किया कि मण्डल के किसी भी जनपद में यदि टीम के सदस्यों को किसी अन्य कार्य में लगाया गया है तो अविलम्ब मण्डलीय अपर निदेशक/मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी के संज्ञान में लाकर महानिदेशालय एवं एस0पी0एम0यू0 को भी सूचित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

- कार्यक्रम अधिकारी, महानिदेशालय परिवार कल्याण द्वारा स्पष्ट किया गया कि टैक्सी परमिट वाहनों के अतिरिक्त किसी जनपद में निजी वाहनों का उपयोग किया पाया जाता है तो जनपद के कार्यक्रम अधिकारी, आर0बी0एस0के0 की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

- महाप्रबंधक आर0बी0एस0के0 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को अवगत कराया कि किशोरी स्वास्थ्य के तहत सैनिटरी नैपकिन्स को ब्लाक के ब्लाक संसाधन केन्द्र को उपलब्ध कराया जाना है, जहाँ से वे अपने तरीके से बालिका स्कूलों तक भेजने की व्यवस्था करेंगे। इस कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग का सहयोग लिया जाना है।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

मातृ स्वास्थ्य

- मिशन निदेशक द्वारा मण्डलीय अपर निदेशकों को निर्देशित किया गया कि मातृ मृत्यु की समीक्षा प्रतिमाह अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मण्डलीय परियोजना प्रबंधक)

मानसिक स्वास्थ्य

- मेडिकल कॉलेज, लखनऊ के प्रो0 डा0 दलाल द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर उत्तर प्रदेश में किये जाने वाले अध्ययन का प्रस्तुतिकरण चिकित्सालयों को संबंधित निर्धारित प्रारूप पर सूचनाओं को प्रेषित किये जाने का आग्रह किया गया। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0

- महाप्रबंधक एवं उपमहाप्रबंधक एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 द्वारा एन0एच0एम0 के तहत क्रियान्वित गतिविधियों के पोर्टल पर उपलब्ध ऑकड़ों को प्रस्तुत किया गया। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माह में फैसीलिटी द्वारा भरी जा रही रिपोर्ट को ब्लाक वेलिडेशन कमेटी एवं जनपद स्तर की वैलिडेशन कमेटी से वेलिडेट कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही जिला हैल्थ रिपोर्ट कार्ड, वार्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट आदि को जनपद में जिला डाटा प्रबंधक को जिम्मेदारी देते हुए पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रतिमाह जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक से पूर्व जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक कराना सुनिश्चित करायें। कार्यकारी समिति की बैठक का एजेण्डा जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा तैयार कर प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। जिसमें एन0एच0एम0 की समस्त गतिविधियों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत कर प्रस्तुतिकरण एवं बैठक का कार्यवृत्त डी0पी0एम0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी संयुक्त रूप से जारी करेंगे। कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवृत्त शासी निकाय की भॉति एस0पी0एम0यू0 को पी0डी0एफ फाईल के रूप में एम0एण्ड ई0 अनुभाग की ई मेल आई0डी0 menrhm@gmail.com पर प्रेषित किया जायेगा।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

- महाप्रबंधक एम0एण्डई0 द्वारा निर्देशित किया गया कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के तहत टैक्सी परमिट वाहन ही लगाये जायें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि डी0एल0वी0एम0सी0 का गठन एक सप्ताह में कर बैठक कराना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शहरी स्वास्थ्य केन्द्र हेतु औषधियॉ एन0एच0एम0 बजट से भी क्रय करना सुनिश्चित करें। तीन माह हेतु दवायें क्रय कर रक्षित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत मानव संसाधन की सूचना दिनॉक 26 अगस्त 2015 की सायं 5 बजे तक महानिदेशालय परिवार कल्याण में कार्यक्रम अधिकारी के ई मेल आई0डी0 jdurbanfw@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित किया जाये।

  (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि महानिदेशालय परिवार कल्याण के तहत बड़े शहरों में संचालित शासकीय नगरीय हैल्थ पोस्ट, नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र में मानव संसाधन की मॉग सप्लीमेण्टरी पी0आई0पी0 में प्रस्तावित कर भेजें।

  (कार्यवाही– महाप्रबंधक–नियोजन/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
- प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किये गये नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रो का पत्थर निर्धारित नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र पर संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी लगवाकर शासन को अवगत करायें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

उपकरणों एवं औषधियों का क्रय/ड्रग इन्वेण्टरी पोर्टल

- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को पुनः निर्देशित किया कि यथासंभव आर0सी0 दर पर दवाओं का क्रय किया जाये। न्युनतम तीन माह की औषधियों का भंण्डारण सुनिश्चित किया जाये।

  (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
- प्रमुख सचिव द्वारा निदेशक–सी0एम0एस0डी0 को निर्देशित किया गया कि जिन दवा फर्मो द्वारा आपूर्ति नही की गई है को कानूनी नोटिस विभागीय एडवोकेट से वेट कराकर जारी किया जाये। प्रदेश में ऐसी दवा आपूर्ति फर्मो को चिन्हित करें जिनके द्वारा आपूर्ति अब तक नही की गई है, को काली सूची में डालने की कार्यवाही करें। **(कार्यवाही– निदेशक–सी0एम0एस0डी0)**
- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर भुगतान से संबंधित दिशानिर्देश दिये गये हैं। निर्धारित समयावधि के बाद जो फर्म दवाओं की आपूर्ति करती है को नियमानुसार कटौती कर भुगतान जारी करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- प्रमुख सचिव द्वारा यू0पी0एच0एस0एस0पी0 के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरे प्रदेश में जनपदवार/दवाओं के आर्डरवाईज/फर्म वाईस आदि का पोर्टल पर डैशबोर्ड भी बनायें ताकि एट ए ग्लांस देखने का मिल सके। **(कार्यवाही– यू0पी0एच0एस0एस0पी0)**
- प्रमुख सचिव द्वारा दवा आपूर्तिकर्ताओं के साथ अगली बैठक दिनॉक 11 सितम्बर 2015 को सायं तीन बजे स्थान मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के कार्यालय सभागार में आयोजित करने के निर्देश निदेशक–सी0एम0एस0डी0 को दिये। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि पोर्टल पर मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा दिये गये क्रय आदेश, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दवा की आपूर्ति की स्थिति, भुगतान की स्थिति आदि का दिनॉक 10 सितम्बर 2015 तक की स्थिति को बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– निदेशक–सी0एम0एस0डी0)**
- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दिनॉक 10 सितम्बर 2015 तक दवा आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

निर्माण कार्य

- मिशन निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी आगरा, वाराणसी, कानपुरनगर, एवं देवरिया को निर्देशित किया गया कि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यो में तेजी लाई जाये। **(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा जनपद मैनपुरी में निर्माण कार्यो में शिथिलता बरतने पर पैक्सफेड के अभियंता को तलब करने के निर्देश अधिशासी अभियंता–एस0पी0एम0यू0 एवं अधीक्षण अभियंता–स्वास्थ्य विभाग को दिये।
  (कार्यवाही– अधिशासी अभियंता–एस0पी0एम0यू0 एवं अधीक्षण अभियंता–स्वास्थ्य विभाग)
- मिशन निदेशक द्वारा अधिशासी अभियंता–एस0पी0एम0यू0 एवं अधीक्षण अभियंता–स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि राज्य स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्माण कार्यो के संबंध में जो पत्रावलियॉं शासन में लंबित पड़ी है, को गति प्रदान करने हेतु प्रतिदिन संबंधित सेक्शन में स्वयं बैठकर कार्य करायेंगे। साथ ही अधीक्षण अभियंता प्रतिदिन मिशन निदेशक को निर्माण कार्यो पर हो रही प्रगति की रिपोर्ट ई मेल के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
  (कार्यवाही– अधिशासी अभियंता–एस0पी0एम0यू0 एवं अधीक्षण अभियंता–स्वास्थ्य विभाग)
- प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि 30 बेड एवं 50 बेड के मैटरनिटी विंग जो तैयार हो चुके है को कियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही मानव संसाधन एवं उपकरणों के कय की कार्यवाही सुनिश्चित करायें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में निर्माण कार्यो की स्थिति को ई–मेल आई0डी0 nhmcivil@gmail.com एवं medicalcivil @gmail.com प्रतिलिपि ई0मेल आई0डी0 पर भेजना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि आयुष विंग को अतिशीघ्र कियाशील करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में प्राईवेट वार्ड के उच्चीकरण के प्रस्ताव को सप्लीमेण्टरी पी0आई0पी0 में प्रेषित किये जाने के निर्देश अधिशासी अभियंता एस0पी0एम0यू0 को दिये। **(कार्यवाही अधिशासी अभियंता एस0पी0एम0यू0)**
- निर्माण कार्यो को गति प्रदान करने के संबंध में मिशन निदेशक द्वारा अधिशासी अभियंता एस0पी0एम0यू0 को निर्देशित किया कि प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को डी0ओ0 पत्र मिशन निदेशक की तरफ से जारी कराया जाये। **(कार्यवाही– अधिशासी अभियंता एस0पी0एम0यू0)**
- मिशन निदेशक द्वारा 23 प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु राज्य स्तर से अवमुक्त धनराशि को अतिशीध्र कार्यदायी संस्थाओं को ट्रांसफर करने के निर्देश संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिये गये। साथ ही निर्माण से संबंधित विभागीय वेबसाइट बनाने के निर्देश अधिशासी अभियंता एस0पी0एम0यू0 एवं अधीक्षण अभियंता, स्वास्थ्य विभाग को दिये।
  (कार्यवाही– अधिशासी अभियंता एस0पी0एम0यू0 एवं अधीक्षण अभियंता, स्वास्थ्य विभाग)
- महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक ब्लड बैंक में प्लेटलेटस की उपलब्धता सुनिश्चित करायें।
  (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

नियमित टीकाकरण

- राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रदेश में ओपन वायल पॉलिसी का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। कंपोजिशन वाली वैक्सीन यथा जे0ई0 वैक्सीन/मीजल्स आदि को छोड़कर अन्य वैक्सीन के खुलने के बाद भी उचित तापमान में रखकर 28 दिन तक पुनः प्रयोग की जा सकती है। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

नॉन कम्यूनिकेबल डीजीज

- जनपद अमेठी द्वारा कियाशील माईक्रोस्कोप की मॉग पर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा अवगत कराया गया कि ऑपरेशन थियेटर के उपकरणों से संबंधित गैप एनालिसिस की रिपोर्ट तैयारी की जा रही हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर समस्त उपकरणों का कय कराकर प्रत्येक चिकित्सालय को पर्याप्त मात्रा में उपकरण उपलब्ध करा दिये जायेंगे। महानिदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गैप एनालिसिस के फार्मेट यदि किसी जनपद द्वारा महानिदेशालय को प्रेषित न किये गये हो, तो अतिशीध्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
- मिशन निदेशक द्वारा राज्य कार्यक्रम अधिकारी–अंधता को निर्देशित किया गया कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 8 सितम्बर 2015 को उपकरणों से संबंधित गैप एनालिसिस की रिपोर्ट प्रदेश के सम्बन्ध में समस्त डी0पी0एम0–अंधता निवारण कार्यक्रम के साथ राज्य स्तरीय बैठक आयोजित कर ली जाये।
(कार्यवाही– राज्य कार्यक्रम अधिकारी–अंधता)

माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 सरकार द्वारा समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि

- समस्त जनपदों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। सभी मरीजों को पॉच दिन की मुफ्त दवा दी जाये। तीन माह की दवाओं का स्टॉक जनपद पर रखा जाये।
- जिन जिलों में दवाओं के कय के उपरान्त बजट की कमी पड़ रही हो अविलम्ब महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को मॉगपत्र भेजें।
- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी स्थानीय कय शासकीय नियमों के विपरीत न करें। साथ ही स्थानीय कय की दवायें न्यूनतम मूल्य की हो।
- जनपद बलियॉ में सॉप के काटने से अस्पताल में हुई मौत एवं जिला महिला चिकित्सालय में प्रसूता एवं शिशु की मौत पर शोक जताते हुए प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि दवाओं की अनुपलब्धता की स्थिति से दोनों चिकित्सालय में हुई मौत के प्रकरण की जॉच निदेशालय स्तर पर तैनात अधिकारी से कराकर दोषी चिकित्साधिकारी/कर्मियों पर कार्यवाही की जाये।
- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में प्राईवेट प्रेक्टिस कर रहे चिकित्सकों की पहचान कर कार्यवाही की संस्तुति शासन को प्रेषित करें।
- प्रदेश के जिन चिकित्सालयों में लिफ्ट का उपयोग किया जा रहा है की सूचना महानिदेशालय एवं शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। समस्त लिफ्टों की मरम्मत कराना भी सुनिश्चित किया जाये।
- मरीजों को अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा भी निशुल्क दी जाये।
- चिकित्सकों एवं कर्मियों से नियमानुसार शासकीय कार्य लिया जाये। वेतन समय पर दिया जाये।
- महिला चिकित्सकों को सुगम इकाईयों में तैनात करें। जानबूझकर दूरस्थ इकाईयों पर परेशान करने की नीयत से तैनाती न की जाये।
- समस्त मुख्यचिकित्साधिकारी अपने कार्य करने की प्रणाली को ठीक करे। साथ ही जनपद के जिला चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं के साथ बैठक कर जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ करना सुनिश्चित करें।

- जनपद में अभी भी बहुत से ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक की तैनाती नही है। जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयं विश्लेषण कर प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित कराते हुए रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये।
- जनपदों में यदि कोई चिकित्सक जेल गये हो या मुकदमा दर्ज हो तो 24 घण्टे की भीतर रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- जनपदों में जो निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है, उन इकाईयों को अतिशीध्र कियाशील कराना सुनिश्चित करें। निर्माण एजेंसियों को धनराशि हस्तांतरण शत प्रतिशत कर दिया जाये।
- महानिदेशालय स्तर से किये गये तबादलों का अनुपालन समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी करना सुनिश्चित करें। अगले दो दिनों में अण्डर ट्रांसफर कार्मिकों को जनपद से रिलीव करें।
- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में कार्यरत समस्त लिपिकों का पटल परिवर्तन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य को भेजना सुनिश्चित करें।
- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आशाओं को भुगतान एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें।

प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह में माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, महानिदेशक परिवार कल्याण, एन0एच0एम0 एवं शासन को भेजना सुनिश्चित करें। बैठक के अंत में मिशन निदेशक–एन0एच0एम0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया किया।

BS
हस्ताक्षर
04.9.15